न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1890–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–8–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 345/अपील/2009–10.

1– विक्रमसिंह आ. जगन्नाथ सिंह
2– प्रहलाद सिंह आ. दातार सिह
दोनों निवासी ग्राम बरखेड़ा तह. आष्टा
जिला सीहोर ----- आवेदकगण

वरूद्ध

1– रामसिंह आ. चैना
2– बाबूलाल आ. चैना
दोनों निवासी ग्राम कजलास तह. आष्टा
जिला सीहोर
3– विजय सिंह आ. रामसिंह
निवासी ग्राम बरखेड़ा तह. आष्टा
जिला सीहोर ----- अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव अधिवक्ता, आवेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06 अगस्त 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 345/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 73–8–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा ग्राम कुरली तहसील आष्टा स्थित भूमि सर्वे नं. 1/66 रकबा 3.30 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसमें आवेदकगण कासर्वे नं. 1/66 के रकबा 2097 एकड़ भाग पर तथा अनावेदक क्रमांक 3 का 0.33 भाग पर अवैध आधिपत्य पाया गया । अनावेदकों द्वारा उक्त सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन विचारण न्यायालय

में पेश किया जो तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–9–08 द्वारा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अपील एस.डी.ओ. के समक्ष पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 10–2–10 द्वारा स्वीकार तथा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन के आधार पर पारित आदेश से उत्पन्न हुआ है । अनुविभागीय अधिकारी ने साक्ष्य की विवेचना करने और सीमांकन की वैधता की जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । प्रत्यावर्तन के उपरांत प्रकरण का निराकरण अभी विचारण न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर